न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/64/2020	2020/00126	17/03/2020	21.09.2021

1- Aavas Financiers Limited (पूर्व नाम ए.यू.हाउसिंग फाईनेन्स लि0) 201–202, द्वितीय मंजिल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर (राजस्थान) शाखा कार्यालय अलवर, शाखा कार्यालय अलवर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विक्रमादित्य वशिष्ठ।

प्रार्थी

बनाम

1- बने सिंह पुत्र श्री किशोरीलाल, निवासी हिंगोटिया का मौहल्ला, टॉवर के पास, ग्राम दिवाकरी, तहसील व जिला अलवर (राजस्थान)।

2- श्रीमती पूनम पत्नी श्री बनेसिंह, निवासी मकान नं0 184/1, गाम दिवाकरी, तहसील व जिला अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

3- जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनेसिंह, निवासी हरिजन मौहल्ला, ग्राम दिवाकरी, तहसील व जिला अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 4,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 22.12.2016 को उपलब्ध कराई थी, तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति, मूल ऋणी बने सिह की मिलकियत की सम्पत्ति रिहायशी भूखण्ड सं. बी–168सी जो कि खसरा नं0 226, ग्राम दिवाकरी, जिला अलवर का भाग है। जिसके तरफ पूर्व को रोड़, तरफ पश्चिम को बी–168डी, तरफ उत्तर को बी–168बी, तरफ दक्षिण को रोड़ है, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा मूल ऋण राशि 3,87,903+ ब्याज 38,618+ लेट पेमेन्ट पेनेल्टी 6,891+ अन्य चार्जेज 16,651.41 सहित कुल 4,50,063.41 रूपये (शब्देन चार लाख पचास हजार तिरेसठ रूपये इकतालीस पैसे रू मात्र) की अदायगी नही की गई। प्रार्थी की उपरोक्त सम्पत्ति मूल ऋणी बने सिह की मिलकियत का भूखण्ड सं. बी–168 जो कि खसरा नं0 226, ग्राम दिवाकरी, जिला अलवर का भाग है, जिसके तरफ पूर्व को रोड़, तरफ पश्चिम को बी–168 डी, तरफ उत्तर को बी–168बी, तरफ दक्षिण को रोड़ है, को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है।

जिला कलक्टर, अलवर

किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर